कार्यालय जनपद न्यायालय, मऊ।
सूचना

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं०-1424 दिनांक 07.10.2026 में शासनादेश सं०-140/2-4 -2024-45 (1) 2020 T.C. दिनांक 28.02.2024 द्वारा रू०-10,00,000/-(दस लाख मात्र) वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु जजेज आवासीय परिसर में अधिकारीगण के आवासों में लघु प्रकृति मरम्मत कार्यों को कराया जाना निर्देशित है।

उक्त के सम्बन्ध में लघु प्रकृति मरम्मत कार्यों में मुख्यतः राजमिस्त्री, प्लम्बर, बढ़ई व इलेक्ट्रीशियन से सम्बन्धित कार्य कराया जाना है। लघु प्रकृति कार्यों में उपयोग होने वाले निर्माण सामग्री का रसीद **(GST/TIN Number सहित)** उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

अतः इच्छुक वेन्डर 4 कार्य दिवस के अन्दर राजमिस्त्री, प्लम्बर, बढ़ई व इलेक्ट्रीशियन के कार्य हेतु प्रतिदिन के आधार पर (जी.एस.टी. सहित) कार्य-दर का कोटेशन नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मऊ को बंद लिफाफे में जमा कराना सुनिश्चित करें।

(बाकर शमीम रिजवी)
अध्यक्ष अवसंरचना उपसमिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०, 01,
जनपद न्यायालय, मऊ।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषितः-

1. नाजिर, जिलाधिकारी कार्यालय, मऊ।
2. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मऊ।
3. जनपद न्यायालय मऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम ऑफिसर को प्रेषित।

(बाकर शमीम रिजवी)
अध्यक्ष अवसंरचना उपसमिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०, 01,
जनपद न्यायालय, मऊ।